आदेश क्रमांक/ तिथि Order No. Date	आदेश एव पदाकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer	आदेश की गयी कारवाई तिथि सहित Action taken on order with date
07/11/2022	**न्यायालय उपायुक्त, खूँटी ।** **आदेश** प्रस्तुत वाद पुलिस अधीक्षक, खूँटी के पत्रांक 189/चु0को0, दिनांक 03.04.2014 के द्वारा थाना प्रभारी कर्रा के प्रतिवेदन के आधार पर वाद प्रारंभ किया गया तथा विपक्षी को कारण पृच्छा सूचना निर्गत किया गया। थाना प्रभारी कर्रा द्वारा प्रतिवेदित है कि आवेदक से शस्त्र का भौतिक रूप से सत्यापन कराने तथा जमा कराने का प्रयास किया गया परन्तु वे उपस्थित नहीं हुए। थाना प्रभारी द्वारा यह भी प्रतिवेदित है कि उक्त आदेश का पालन आवेदक द्वारा नहीं किया गया जो चुनाव से संबंधित आदेश का उल्लंघन है। विपक्षी के मृत्यु हो जाने के कारण उनकी पत्नी द्वारा उपस्थिति दी गई साथ में कारण पृच्छा दाखिल किया गया। उनके द्वारा कारण पृच्छा में उल्लेख किया गया है कि पति के नाम से निर्गत अनुज्ञप्ति संख्या 2029 एस0बी0बी0एल0 (जे0 एच0 454) को रद्द करने हेतु सूचना प्राप्त है। उनका कहना है कि एम0सी0सी0 की गतिविधियों को देखते हुए दिनांक 09.02.2001 को ही बन्दूक थाना प्रभारी कर्रा के कार्यालय में जमा कर दिया गया है। जिसके दो गवाह (1) जीवन तोप्पो, पिता स्व0 जगना तोप्पो, ग्राम–बड़ाम, थाना–टाटीसिल्वे, जिला–राँची एवं (2)बहाल बारला, पिता स्व0 दयाधाम बारला, ग्राम– कुदलुम, थाना–कर्रा, जिला–खूँटी हैं। इनका कहना है कि अनुज्ञप्तिधारी बहाल बारला, पिता–स्व0 दयाधाम बारला की मृत्यु दिनांक 02.06.2013 को हो चुकी है। अतः उचित कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया गया है। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन, अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन तथा दाखिल कारण पृच्छा के अवलोकन पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि अनुज्ञप्तिधारी का निधन हो चुका है जिसके कारण निर्गत अनुज्ञप्ति संख्या 2029 एस0बी0बी0एल0 (जे0एच0 454) को बहाल रखना उचित नहीं होगा। अतः स्व0 बहाल बारला को निर्गत अनुज्ञप्ति संख्या 2029 एस0बी0बी0एल0 गन न0 454 को रद्द करने की कार्रवाई हेतु शस्त्र दण्डाधिकारी खूँटी को सूचित करें। लेखापित एवं संशोधित (Sd/-) उपायुक्त, खूँटी। (Sd/-) 07/11/2022 उपायुक्त, खूँटी।	